रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD No. D.L. 33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 1992/अग्रहायण 4, 1914
No. 479] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 1992/AGRAHAYANA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1992

सं. 28/92 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी)

सा. का. नि. 891(अ) – केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) जिसे इसके पश्चात् उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम कहा गया है) के अधीन उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अंतर्गत उस का उद्ग्रहण न किया जाना है) साधारणतया प्रचलित थी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उपशीर्ष सं. 3212 90 के अन्तर्गत आने वाले 47 अ से ज्ञात किए गए अन्य सदस्त

अल्ट्रामैरीन ब्लू में से विनिर्मित फुटकर विक्रय के लिये छोटे पैकेजों में रखे गए अल्ट्रामैरीन ब्लू पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 28 फरवरी, 1986 से प्रारंभ होने वाली और 6 दिसम्बर, 1990 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहीत न किया गया था,

और पूर्वोक्त अवधि के दौरान उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन ऐसे अल्ट्रा-मैरीन ब्लू पर विशेष शुल्क भी उद्ग्रहीत नहीं किया गया था।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त प्रथा के न होने पर, उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 3 के अधीन ऐसे अल्ट्रामैरीन ब्लू की बाबत उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क और विशेष शुल्क उद्ग्रहीत किया गया था। 3)

[फा. सं. 95/7/91-सीएक्स-3]

अरविंद सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 1992

NO. 28/92-CENTRAL EXCISES (N.T.)

G.S.R. 894(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the said Central Excises & Salt Act), the duty of the Central Excise on ultramarine blue falling under sub-heading No. 3212.90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), put up in small packings for retail sale, manufactured out of duty paid ultramarine blue purchased in bulk, was not being levied under Section 3 of the said Central Excises and Salt Act, during the period commencing on the 28th day of February, 1986 and ending with the 6th day of December, 1990 ;

And whereas, the special duty of excise on such ultramarine blue was also not being levied under the said Central Excises and Salt Act during the period aforesaid :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11C of the said Central Excises and Salt Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise and the special duty of excise payable under Section 3 of the said Central Excises and Salt Act, on such ultramarine blue, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such ultramarine blue on which the said duty of excise and the special duty of excise were not levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 95/7/91-CX. 3]

ARVIND SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992